प्रेस विज्ञप्ति

20/12/2024

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर ने चरणजीत सिंह, पुत्र बिशन सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 4 के तहत पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत यथा परिभाषित धन शोधन का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। माननीय न्यायालय ने चरणजीत सिंह को दोषी पाया है और उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा, उनकी संपत्ति, जो पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कुर्क की गई थी, को पीएमएलए, 2002 की धारा 8 (5) के तहत जब्त कर लिया गया है।

ईडी ने आईपीसी 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत चरणजीत सिंह, पुत्र बिशन सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर वर्ष 2012 में जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के माध्यम से अर्जित अपराध (पीओसी) की आय को आरोपियों द्वारा संपत्तियों में निवेश किया गया था, जिन्हें बाद में ईडी द्वारा कुर्क किया गया था। जांच के दौरान यह पता चला कि चरणजीत सिंह, जो जालंधर डिवीजन के डिवीजनल कमिश्नर के एम्बॉसिंग क्लर्क के रूप में काम कर रहा था, ने सरकारी खाते में एम्बॉसिंग फीस जमा न करके 2.48 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का गबन किया, क्योंकि उसके द्वारा जमा किए गए चालान फर्जी पाए गए थे। जांच के बाद ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2017 में अभियोजन शिकायत दायर की। अब, माननीय विशेष न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय लिया गया है और चरणजीत सिंह को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.12.2024 के आदेश के तहत दोषी ठहराया गया है।